326

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय मे श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर (म0प्र0)

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

निगरानी/उमरिया/भू.रा/2018/1023

मोहम्मद अनीश पिता स्व0 हबीब अहमद उम्र 40 वर्ष, निवासी देवगवाखुर्द थाना नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0 ....पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

एजाजुद्दीन पिता सिराजुद्दीन उम्र 40 साल, निवासी बार्ड नं0 3 मुण्डीखोली नौरोजाबाद, थाना नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म0प्र0) ....उत्तरदाता/अनावेदक

राजेन्द्र मिश्रा द्वारा दि. 9-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-2-18 नियत।

9-2-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक, तहसील नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0 जरिये प्रकरण कमांक 32/अ12/2017–18 आदेश दिनांक 15/1/18, 16/1/18, 22/1/18,

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50(1) का0मा0

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता निम्न विनय करता है–

9/2/18
राजेन्द्र मिश्रा
अधि.

संक्षिप्त तथ्य

यह कि आराजी नम्बर 11/1क/1 रकवा 0.085हे0 एवं आराजी नम्बर 11/1क/2 रकवा 0.291हे0 ग्राम देवगवाखुर्द प0ह0 देवगंवाखुर्द सर्किल नौरोजाबाद तह0 नौरोजाबाद जिला उमरिया का भूमिस्वामी कब्जेदार पुनरीक्षणकर्ता है। आराजी नम्बर 11/1क/2 रकवा 0.291हे0 भूमि को आवेदक ने पूर्व भूमिस्वामी रामप्रसाद, चित्रभान पिता सुखदेव बर्मन साकिन देवगंवाखुर्द से जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 11/5/11 को कय कर काबिज है, विकयपत्र मे विधिवत कयसुदा भूमि की चौहद्दी दर्शित है, जिसमे उक्त कयसदा भूमि एन0एच0 78 उमरिया शहडोल रोड से लगी भूमि है, तथा उक्त कयसुदा भूमि के पश्चिम दिशा मे मोलई की भूमि दर्शित है, जो आराजी नम्बर 11/1क/1 है, जिसे भी आवेदक ने मोलई से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 19/4/12 के तहत कय कर काबिज है । आवेदक ने अपने कयसुदा भूमियो की विकयपत्र दिनांक 11/5/11 के

=2=

मो० अनीश

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—दो / निगरानी / उमरिया / भू.रा. / 2018 / 1023

मोहम्मद अनीश विरूद्ध एजाजुद्दीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील नौरोजाबाद, जिला— उमरिया के प्रकरण क्रमांक 32 / अ—12 / 2017—18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15—01—2018 एवं 16—01—2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 11-3-19 सदस्य	